न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती करूणा लाड़ोती, आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र नम्बर :– 119/2019

जीसीएमएस नम्बर :– 2019/00205

उनवान

1. ओमप्रकाश पिता रामचन्द्र सुथार निवासी सरेवड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. खेमराज पिता रामचन्द्र सुथार निवासी सरेवड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. चान्दमल पिता रामचन्द्र सुथार निवासी सरेवड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रार्थीगण

बनाम

1. रामचन्द्र पिता मांगु सुथार निवासी सरेवड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. बालु पिता मांगु सुथार निवासी सरेवड़ी तहसील रायपुर मृतक के बजाय

2/1. सायरी पत्नि बालु सुथार निवासी सरेवड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2/2. प्रकाशचन्द्र पिता बालु सुथार निवासी सरेवड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2/3. कमला पुत्री बालु सुथार निवासी सरेवड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2/4. पूरणमल पिता बालुराम सुथार निवासी सरेवड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2/5. डालचन्द पिता बालुराम सुथार निवासी सरेवड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2/6. जगदीश पिता बालुराम सुथार निवासी सरेवड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2/7. नानी पुत्री बालुराम सुथार निवासी सरेवड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2/8. तूलसीराम पिता बालुराम सुथार निवासी सरेवड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित

1. फारूख मोहम्मद मन्सूरी – अधिवक्ता प्रार्थी
2. मनोहर लाल बापना – अधिवक्ता प्रतिवादी 2
3. विपक्षी संख्या 1 एकपक्षीय

निर्णय

दिनांक:– 21/5/26

1. पत्रावली पेश हुई। प्रकरण का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण एक ही हिन्दु संयुक्त परिवार के सदस्य होकर सजरा प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थीगण व विपक्षी संख्या 1 व भागुदेवी पुत्री मांगु सुथार की पुश्तैनी एवं पैतृक कृषि आराजियात ग्राम सरेवड़ी पटवार हल्का सरेवड़ी के बैरून हल्का आबादी में निम्न आराजियात स्थित है –

क.स.	खाता संख्या	आराजी संख्या	रकबा है0 में
1	139	590	0.29
2	139	592	0.11
3	139	598	0.06
4	139	599	0.39
5	139	601	0.16
6	139	603	0.13
	कुल किता कुल रकबा	6	1.14

उक्त आराजियात में प्रार्थीगण के दादा तथा विपक्षी के पिता मांगु आत्मज भोला सुथार का 1/2 हिस्सा तथा बालु आत्मज भोला सुथार का 1/2 हिस्सा दर्ज रेकार्ड था।

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) रायपुर

2. प्रार्थीगण के दादा एवं विपक्षी के पिता मांगु आत्मज भोला सुथार का स्वर्गवास होने के पश्चात उनकी विरासत का नामान्तरण संख्या 333 प्रार्थीगण के पिता रामचन्द्र एवं भागुदेवी पुत्री मांगु सुथार के नाम दिनांक 20.09.2016 को फैसल किया गया जिससे प्रार्थीगण का 1/6 हिस्सा निहित है। प्रार्थीगण विपक्षी रामचन्द्र के जायन्दा पुत्र होकर विधिक वारीस है किन्तु राजस्व रेकार्ड में विपक्षी के नाम दर्ज रेकार्ड है तथा इसमें प्रार्थीगण का भी पुश्तैनी होने से जन्म से हक व हिस्सा निहित है। रामचन्द्र प्रार्थीगण के पिता है उनके 1/6 हिस्से में प्रार्थीगण का भी हक हिस्सा निहित है। खाता संख्या 139 में अंकित आराजियात में प्रार्थीगण प्रत्येक का 1/24–1/24 हिस्सा यानि प्रार्थीगण का संयुक्त रूप से 1/8 हिस्सा निहित है। जिस प्रार्थीगण हिस्सेनुसार काबिज है तथा उक्त हिस्से की प्रार्थीगण अपने नाम खातेदारी अधिकार की घोषणा करवा अपने नाम दर्ज करवाने के अधिकारी है।

3. विपक्षी के नाम दर्ज होने से प्रार्थीगण के जायज हक व हिस्से से महरूम करने की गरज से सम्पूर्ण भूमियों अन्य को विक्रय करने पर आमादा है तथा विपक्षी सम्पूर्ण भूमियों को अन्य को विक्रय कर देगा तो प्रार्थीगण जायज हक हिस्से से महरूम हो जायेंगे। जिससे प्रार्थीगण के पक्ष में विपक्षी के विरूद्व ताफैसला मूलवाद अस्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमाया जाना आवश्यक हो गया।

4. अतः श्रीमान् से सादर प्रार्थना है कि प्रार्थीगण के पक्ष में विपक्षी के विरूद्व ताफैसला मूलवाद इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी फरमाई जावे कि ग्राम सरेवड़ी के खाता संख्या 139 में अंकित आराजी संख्या 590, 592, 598, 599, 601, 603 कुल किता 6 कुल रकबा 1.14 है0 भूमि को विपक्षी किसी अन्य को रहन, बय, बक्षीस या अन्य किसी तरीके से हस्तान्तरित नहीं करे तथा प्रार्थीगण को उनके हक व हिस्से की आराजियात से जबरन बेदखल नहीं करे तथा न अन्य से करावे तथा मौके एवं राजस्व रेकार्ड की यथास्थिति बनाए रखे।

5. प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 16.10.2019 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को सम्मन जारी किया गया। सम्मन की पालना में विपक्षी संख्या 1 बावजुद सूचना उपस्थित नहीं होने से दिनांक 13.07.2023 को एकपक्षीय कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया एवं विपक्षी संख्या 2/1 से 2/8 की ओर से जवाब प्रस्तुत किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया।

6. विपक्षी संख्या 2/1 से 2/8 की ओर से प्रस्तुत जवाब में अंकन किया कि विपक्षी संख्या 3 की वाद प्रस्तुत करने से पहले ही मृत्यु हो चुकी है। उसके विरूद्व वाद प्रस्तुत किया गया जो इसी स्तर पर खारीज योग्य है। वादग्रस्त आराजियात प्रार्थीगण व विपक्षी संख्या 1 लगायत 8 के मूलपुरूष भोला पिता जीवा के नाम पर दर्ज रेकार्ड थी, भोला के 5 पुत्र भुरा, मोहन, मांगु, सोहन, बालु हुए। पारिवारीक बंटवाड़ा चोपनिए में निष्पादित करवाया जिसमें वादग्रस्त आराजियात को आपसी सहमति व बंटवारे से विपक्षी संख्या 2 के पति व 3 लगायत 8 के पिता बालु के रखी, वादवर्णित भूमि को नाडी का कुआं वाली जमीन कहा जाता था लेकिन उक्त भूमियों में प्रार्थीगण के दादा मांगु का नाम गलत रूप से दर्ज हो गया व मांगु की मृत्यु के बाद विपक्षीं सख्या 1 व भागुदेवी, कंकु के नाम पर खाता दर्ज हो गया। जबकि आपसी सहमति व पारिवारिक बटवारे/समझौते से उक्त आराजियात सम्पूर्ण बालु जी के नाम पर दर्ज होनी चाहिए थी। प्रमाण मे फोटोप्रति पारिवारिक बंटवाडा/समझौता संवत 2018 चैतबुद 8 की फोटोप्रति पेश है। मागु जी की मृत्यु के बाद वादवर्णित आराजियात का 1/2 हिस्से से नामान्तकरण विपक्षी रामचन्द्र भागु व

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) रायपुर

कंकु के नाम पर गलत रूप से दर्ज हुआ। क्योंकि परिवारिक बंटवाडा/समझौता संवत 2018 के आधार पर वादवर्णित सम्पूर्ण आराजियात बालु के नाम पर दर्ज होनी चाहिये थी। चूंकि जब वादवर्णित आराजियात के सबंध में भोलाजी ने अपने जीवनकाल में संवत 2018 में एक पारिवारिक बटवाडा/समझौता नामा निष्पादित कर दिया जिसमें वादवर्णित आराजियात बालु के हिस्से में रखी गई, तब फिर उक्त वर्णित आराजियात में प्रार्थीगण व विपक्षीगण सख्या 1 व भागु देवी व कंकु का हक व हिस्सा बनता ही नहीं हैं, न ही प्रार्थीगण का जन्म से उक्त वर्णित आराजियात मे कोइ हक व हिस्सा ही बनता है। जिससे वाद प्रार्थीगण निरस्त योग्य है। वादवर्णित आराजियात मे प्रार्थीगण का कुछ भी हक व हिस्सा नहीं हैं न उनका वादवर्णित भूमियों के किसी भी भाग पर आधिपत्य ही हैं वादवर्णित आराजियात पारिवारिक बंटवाडा संवत 2018 से ही बालु जी के स्वामित्व एवं आधिपत्य मे है। बालु जी अनपढ होने से उन्होने उक्त पारिवारिक बंटवाडे/समझौते के आधार पर वादवर्णित सम्पूर्ण आराजियात अपने नाम पर नहीं करवाई, जिससे वादवर्णित आराजियात मे 1/2 हिस्सा मांगु जी के नाम पर भी दर्ज हो गया व मांगु जी की मृत्यु उपरांत विपक्षीगण सख्या 1 व भागु व कंकु के नाम पर दर्ज हो गया। इसके बाद बालु जी ने काफी बार विपक्षी संख्या 1 व भागु देवी व कंकु को कहा कि वो वादवर्णित आराजियात में जो 1/2 हिस्सा विपक्षीगण संख्या 1 व भागु देवी व कंकु के नाम पर दर्ज हो गया हैं उसको बालु जी के नाम पर करवा दे तो विपक्षीगण संख्या 1 व भागु देवी व कंकु इन्कार हो गये। बालु ने दिनांक 19.06.2019 को विपक्षी संख्या 1 भागुदेवी ने वादवर्णित आराजियात संख्या 590, 592, 598, 599, 601, 603 कुल किता 6 कुल रकबा 1.14 है0 भूमि 1/2 हिस्से का विकय पत्र बालु के पक्ष में निष्पादित करवा उप पंजीयक रायपुर के कार्यालय में पंजीकृत करवाया। प्रमाण में विकय पत्र की प्रति पेश की है। वादवर्णित आराजियात में प्रार्थीगण व विपक्षी संख्या 1 व भागुदेवी का कोई हक व हिस्सा शेष नहीं रहने से वाद प्रार्थीगण खारीज योग्य है। वादवर्णित कृषि आराजियात में प्रार्थीगण व विपक्षीगण संख्या 1 का कुछ भी हक हिस्सा नहीं है। वादवर्णित आराजियात पारिवारीक बंटवाड़ा संवत 2018 के आधार पर बालु के नाम दर्ज होनी चाहिए थी जो नहीं होने पर बालु ने पूर्ण प्रतिफल देकर वादवर्णित भूमियों में दर्ज विपक्षीगण संख्या 1 व भागुदेवी का 1/2 हिस्सा कय किया है जिसकी जानकारी प्रार्थीगण को भी है। लेकिन उन्होने जानबुझकर विपक्षी बालु से नाजायज राशि ऐंठने के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जो सव्यय खारीज योग्य है।

7. प्रकरण में प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में निवेदन किया कि प्रार्थीगण एवं विपक्षी संख्या 1 पिता पुत्र है। प्रार्थीगण व विपक्षी संयुक्त परिवार के सदस्य है जिसका उल्लेख कलम संख्या 1 में किया गया है। खाता संख्या 139 में अंकित वादग्रस्त आराजियात वादीगण की पैतृक सम्पति है। वादग्रस्त आराजियात प्रार्थीगण के दादा मांगु के नाम दर्ज रेकार्ड थी जिसकी मृत्यु वर्ष 2016 में होने पर आराजियात को विरासत से प्रतिवादी संख्या 1, 2, 3 के नाम दिनांक 20.09.2016 को दर्ज किया गया। विपक्षी/प्रतिवादी संख्या 1 रामचन्द्र ने मूलवाद में प्रतिवादी संख्या 4 को अपने सम्पूर्ण हिस्से का बेचान कर दिया। वादग्रस्त आराजियात में जन्म से ही प्रार्थीगण का हक हिस्सा निहित है तथा आराजियात के बैचान से प्रार्थीगण के अधिकार प्रभावित हुए है। मूलवाद साक्ष्यों के आधार पर निर्णित होगा जिसमें समय लगेगा।

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) रायपुर

वादग्रस्त आराजियात पर दौराने वाद अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं होने पर प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होगी। अतः मूलवाद के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाए।

8. विपक्षी अधिवक्ता की बहस सुनी गई। विपक्षी अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में निवेदन किया कि दिनांक 26.09.2019 को वाद पेश किया गया है जबकि अप्रार्थीगण के पिता बालु ने दिनांक 19.06.2019 को वादग्रस्त आराजियात का 1/2 हिस्सा खरीदा है। अप्रार्थीगण वादग्रस्त आराजियात के सद्भाविक केता है। प्रार्थीगण द्वारा विपक्षी बालु को बिना पक्षकार बनाए अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करा ली गई है। अस्थाई निषेधाज्ञा में बालु के विरूद्व कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है। प्रार्थीगण के पिता विपक्षी संख्या 1 रामचन्द्र के वादग्रस्त आराजियात में अधिकार बैचान से खत्म हो गए है। विपक्षी संख्या 1 रामचन्द्र ने प्रतिफल लेकर पारिवारिक आवश्यकता के लिए वादग्रस्त आराजियात का बैचान किया है। प्रार्थीगण का मुख्य अनुतोष जन्म से ही हक अधिकार का है। पिता के जिवित रहते सन्तान को पैतृक सम्पति में कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते है। भागुदेवी ने भी अपना हिस्सा बेचा है। अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा पूरी आराजियात पर जारी की गई है। हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 8 के अनुसार केवल प्रथम श्रेणी का वारीस घोषणा का वाद ला सकता है। अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र खारीज किया जाए। विपक्षी द्वारा प्रकरण में निम्न न्यायिक दृष्टान्त पेश किए है–

   1. मनोहरलाल व अन्य बनाम हनुमानसिंह व अन्य एस.बी. सिविल प्रथम अपील 2019 (2021) डीएनजे पेज 380
   2. मनोजशर्मा व अन्य बनाम पंकज शर्मा व अन्य एस.बी. सिविल रिवीजन पीटीशन 2016 (2024) आरजेजेपी 4736
   3. दीपसिंह बनाम राधेश्याम सिविल प्रथम अपील 2019

9. विपक्षी अधिवक्ता की बहस पर वादी अधिवक्ता द्वारा प्रत्युत्तर में निवेदन किया कि हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6 के अनुसार एक ही पूर्वज से उत्पन्न संतति 4 पीढ़ीयों तक सम्पति में अधिकार रखते है। अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र में एवं मूलवाद में बालु के विधिक वारीसान पक्षकार है। वादग्रस्त आराजियात में प्रार्थीगण के पिता विपक्षी संख्या 1 ने अपने सम्पूर्ण हिस्से बैचान किया इस कारण अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करवाई गई है। बालु, प्रार्थीगण के दादा मांगु के भाई है। जमाबन्दी में बालु का नाम नहीं है इस कारण अस्थाई निषेधाज्ञा में उनके विरूद्व कोई अनुतोष नहीं मांगा गया है। संयुक्त आधिपत्य की सम्पति में सबकी सहमति से ही बेची जा सकती है। जायज जरूरत के लिए आराजियात के बैचान का कोई हवाला विक्रय पत्र में नहीं है। विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तरण नहीं खोला गया है। सभी आराजियात संयुक्त है विभाजन नहीं हुआ है। विपक्षी संख्या 1 रामचन्द्र जो कि प्रार्थीगण के पिता है उनकी ओर से कोई जवाब पेश नहीं किया गया है ना ही उनका कोई प्रतिनिधित्व कोई अधिवक्ता कर रहा है। अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनों बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में है। अतः मूलवाद के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमाई जावे।

10. न्यायालय ने पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन करते हुए उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस पर गंभीरता से विचार किया तो पाया कि वादग्रस्त आराजियात का मूलवाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956 की धारा 88 खातेदारी अधिकारो की घोषणा का वाद है जिसमें वादीगण द्वारा

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) रायपुर

वादग्रस्त आराजियात को अपनी पुश्तैनी कृषि आराजियात बताते हुए उसमें जन्म से ही हक हिस्सा निहित होने के आधार पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा चाही गई है। वादग्रस्त आराजियात पुश्तैनी है अथवा नहीं तथा वादीगण को वादग्रस्त आराजियात पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा प्राप्त करने का हक है अथवा नहीं यह मूलवाद में साक्ष्यों के आधार पर निर्णित किया जाएगा। वादग्रस्त आराजियात में विपक्षी/प्रतिवादी 1 द्वारा अपने हिस्से का विपक्षी संख्या 2 बालु पिता मांगु को बैचान किया गया है। विपक्षी/प्रतिवादी 1 द्वारा प्रार्थना पत्र में ऐसे कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए है जिससे प्रथम दृष्टयता यह प्रतीत हो कि वादग्रस्त आराजियात विपक्षी की स्वअर्जित आराजियात हो जिसका कि वह स्वतंत्र रूप से बैचान करने का अधिकारी है। ऐसे में मामला प्रथम दृष्टयता प्रार्थीगण के पक्ष में प्रतीत होता है। वादग्रस्त आराजियात का 1 बार बैचान हो चुका है। वादग्रस्त आराजियात को विपक्षी द्वारा किसी अन्य को रहन, बय, बक्षीस कर दिया जाता है तो प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होने की संभावना है एवं मौके पर विवाद उत्पन्न होने की आंशका रहेगी एवं खातेदारों में परिवर्तन होने पर प्रकरण के विचारण एवं निर्णयन में अनावश्यक विलम्ब होगा तथा विवादो की बहुलता की संभावना बनती है। सुविधा सन्तुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में है। ऐसी स्थिति में मूलवाद निस्तारण तक प्रार्थीगण का अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

—:: आदेश ::—

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट स्वीकार कर मूलवाद के निस्तारण तक इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि राजस्व ग्राम सरेवड़ी पटवार हल्का सरेवड़ी के बैरून हल्का आबादी में निम्न आराजियात स्थित है –

क.स.	खाता संख्या	आराजी संख्या	रकबा है0 में
1	139	590	0.29
2	139	592	0.11
3	139	598	0.06
4	139	599	0.39
5	139	601	0.16
6	139	603	0.13
	कुल किता कुल रकबा	6	1.14

उक्त वर्णित भूमि को विपक्षी किसी अन्य को रहन, बय, बक्षीस या अन्य किसी तरीके से हस्तान्तरित नहीं करे, न अन्य किसी से करावे तथा मौके एवं राजस्व रेकार्ड की यथास्थिति बनाए रखे। इस प्रकरण संख्या 119/2019 में पूर्व में इस न्यायालय द्वारा जारी यदि कोई आदेश हो तो उसे इस आदेश से प्रतिस्थापित किया जाता है। पालनार्थ तहसीलदार रायपुर को आदेश की प्रति के साथ लिखा जावे। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करे।

निर्णय आज दिनांक 21/5/24 को सहायक कलक्टर उपखण्ड अधिकारी द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(करूणा लाड़ोती)
सहायक कलक्टर उपखण्ड अधिकारी
रायपुर जिला पीलवाड़ा